

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक— /FP/UK/ROAD/9364/2015 :देहरादून:दिनांक: 22 सितम्बर, 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र),
25-सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:—जनपद—अल्मोड़ा में द्वाराहाट सुरईखेत मोटर मार्ग किमी 0 6 हैमी 4-6 से बयेला नाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.417 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(ऑनलाईन फाईल नं० FP/UK/ROAD/9364/2015)

संदर्भ:—भारत सरकार की पत्र संख्या—8बी/यू.सी.पी./06/112/2015/एफ०सी०/947 दिनांक 07-09-2017

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर आख्या निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है :-

1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 8.834 हे० ग्राम-फलद्वाड़ी सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू० 22,37,935.00 (रू० बाईस लाख सैंतीस हजार नौ सौ पैंतीस) तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम-फलद्वाड़ी, पटवारी क्षेत्र-फलद्वाड़ी, तहसील-द्वाराहाट, जनपद-अल्मोड़ा में चिन्हित 8.834 हे० सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन करा दिया गया है, म्यूटेशन किये गये भूमि के अभिलेख की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-1)
2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की देय धनराशि रू० 37,32,365.00 (रू० सैंतीस लाख बत्तीस हजार तीन सौ पैसठ) तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है।
3. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की बचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-2)
4. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गई क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन०पी०वी० की धनराशि को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिये गये डिमाण्ड नोट के आधार पर (Online) ऑनलाईन जमा कर दिया गया है। (संलग्नक-3)
5. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो, सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की बचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-4)

W

अतः अनुरोध है कि विषयोंकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।
संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक

संख्या :- 829 /FP/UK/ROAD/9364/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. जिलाधिकारी, जनपद-अल्मोड़ा।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
6. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक

9/c